<u>न्यायालय-सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारी-सिराज अली)

<u>आप. प्रक. क.–26 / 2012</u> संस्थित दिनांक–17.01.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर जिला–बालाघाट (म.प्र.)

= = = = = <u>जानवाज</u>

- 1. प्रदीप उर्फ मोनू पिता ओमकार रहांगडाले उम्र 20 वर्ष, जाति पंवार साकिन सोनपुरी थाना रूपझर जिला बालाघाट,
- 2. ओमकार रहांगडाले पिता ईशाराम उम्र 56 वर्ष, जाति पंवार साकिन सोनपुरी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | आरोपीगण |
|---|-------|---|---|---|---|---|---------|
| | | | | | | | |

1—मध्यप्रदेश राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ. उप.। 2—आरोपीगण की ओर से श्री चौहान अधिवक्ता।

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक— 17.01.2015 को घोषित)</u>

- 1- आरोपी प्रदीप के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(दो बार), एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 29.11.2012 को समय करीब 10:30 बजे मेथोडिस चर्च के पास मेन रोड़ उकवा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50 एम.सी./8438 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत मनोहर एवं विकास को उपहित कारित की, बिना बीमा कराए तथा बिना लायसेंस के उक्त वाहन का चालन किया तथा आरोपी ओमकार के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त वाहन के स्वामी होते हुये उक्त वाहन को बिना बीमा कराए एवं बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने दिया।
- 2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 29.11.2012 को समय करीब 10:30 बजे ग्राम मेथोडिस चर्च के पास मेन रोड़ उकवा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कमांक एम.पी.50 एम.सी. / 8438 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये आहत मनोहर एवं विकास को टक्कर मार दी जिसके फलस्वरूप मनोहर एवं विकास के पैर, हाथ, बख्या व कोहनी में उपहित कारित हुई। घटना की रिपींट आहत मनोहर द्वारा चौकी उकवा में दर्ज कराने पर थाना रूपझर पुलिस द्वारा अपराध कमांक 143 / 11 की धारा 279, 337 भा.दं.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये एवं आरोपी प्रदीप उर्फ मोनू एवं वाहन स्वामी ओमकार के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 146/196 का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

- 3- आरोपी प्रदीप उर्फ मोनू के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(दो बार) एवं एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी ओमकार के विरूध्द मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अन्तर्गत अपराध विवरण विरचित किये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा है। आरोपीगण ने धारा 313 के अन्तर्गत द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूटा फंसाया होना बताया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—
- 1. क्या आरोपी प्रदीप ने दिनांक 29.11.2011 को समय करीब 10:30 बजे मेथोडिस चर्च के पास मेन रोड़ उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एम.सी. / 8438 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी प्रदीप ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर आहत मनोहर एवं विकास को उपहित कारित की ?
- 3 क्या आरोपी प्रदीप ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना बीमा कराए तथा बिना लायसेंस के चालन किया ?
- 4. क्या आरोपी ओमकार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन का स्वामी होते हुये उक्त वाहन को बिना बीमा कराए एवं बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को चलाने दिया ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 से 4 का सकारण निष्कर्ष :-

5. आहत मनोहर (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। घटना लगभग करीब 2–3 माह पूर्व 11–12 बजे की है। वह घूमते हुए गिरिजाघर की तरफ गया था। अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया तो वह बेहोश होकर गिर गया। उसे नहीं मालूम की टक्कर किस वाहन से हुई और किसी गलती से दुर्घटना हुई। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह प्रकट किया है कि उसे होश नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता कि किस नंबर के वाहन से तथा वाहन तेज रफ्तार और लापरवाही से आया। साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई रिर्पोट प्रदर्श पी—1 एवं मौका—नक्शा प्रदर्श पी—2 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन का प्रकार और नंबर किसी को नहीं बताया तथा पुलिस ने आरोपी का नाम तथा वाहन का

नंबर कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुए भी मात्र वाहन से टक्कर होने की पुष्टि की है किन्तु घटना के समय किस वाहन से, किस चालक द्वारा किस प्रकार से उसे टक्कर कारित हुई इस तथ्य का वर्णन साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट नहीं किया है कि उसे कथित दुर्घटना में किसी प्रकार की चोट कारित हुई थी। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

- आहत विकास (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण मे कथन किये है कि वह 6. आरोपी को पहचानता है। घटना करीब एक वर्ष पूर्व की दिन की 9–10 बजे उकवा चर्च के सामने की है। घटना के समय वह उकवा बस स्टेण्ड से रेंज ऑफिस की ओर जा रहा था, तभी आरोपी की मोटरसाईकिल अनबेलेंस होकर गिर गई और उसकी मोटरसाईकिल से टकरा गई, जिससे वह मोटरसाईकिल से गिर गया था और जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट लग गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी ने अपनी मोटरसाईकल कमांक एम.पी.—50 एम.सी.—8438 को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर आहत मनोहर को ठोस मार दिया था और अनबेलेंस होकर उसकी मोटरसाईकल से टकरा गया था। साक्षी ने उसके द्वारा दिए गए पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर गड्ढा होने के कारण उसकी गाड़ी धीमी गति से चल रही थी, तथा वह आरोपी की गाडी की गति के बारे में तथा किस कारण से गाडी असंतृलित हुई, यह भी नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से इस तथ्य की पृष्टि तो होती है कि घटना के समय आरोपी मोटरसाईकिल चला रहा था और उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया, किन्तु साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर उसे व मनोहर को ठोस मारी थी। इस प्रकार घटना के समय आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल का चालन उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक किये जाने के संबंध में साक्षी ने अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 7- राकेश (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह आहत विकास को भी जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूव्र की है। उसने घटनास्थल पर आरोपी को गिरा हुआ देखा था। वह घटनास्थल पर 10 मिनट बाद पहुंचा था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे अस्पताल में पूछताछ की थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी ने मोटरसाईकल को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर आहत मनोहर को ठोस मार दिया था और आहत विकास की मोटरसाईकिल से टकरा गया था। साक्षी ने उसके द्वारा दिए गए पुलिस कथन प्रदर्श पी—4 से भी इंकार किया है।

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस कारण साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता। अन्य साक्षी दीपक अ.सा. 7 ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले को किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया है।

- हंसलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। आहत मनोहर को जानता है। घटना लगभग 3 वर्ष पुरानी है। दिन के 11:00 बजे जक वह चर्च के पास की दुकान पर दीपक के साथ बात-चीत कर रहा तो उसे दुकान वाले दीपक ने बताया कि एक मोटरसाइकिल वाला एक व्यक्ति का एक्सीडेन्ट करके भाग रहा था तो वे लोग चर्च के पास घटनास्थल पर गए, जहां से मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल लेकर भाग गया था। आहत मनोहर रोड़ के साईड में बैठा हुआ था। आहत को बांए पैर में चोट लगी थी। वह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से चोट लगी थी। आहत को माईस अस्पताल भेजा गया था। उसके सामने पुलिस ने कोई मोटरसाइकिल जप्त नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी मोनू उर्फ प्रदीप ने उसके सामने मोटरसाईकिल को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत मनोहर को ठोस मार दिया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि आरोपी के द्वारा विकास मधुकर को मोटरसाइकिल से टक्कर मारा था, जिससे विकास गिर गया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि वह आहत मनोहर को उठाने गया था तो आरोपी से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम मोनू उर्फ प्रदीप राहांगडाले होना बताया था। उक्त साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि दुर्घटना आरोपी की गलती से ही हुई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 9- डॉ. डी.सी. धुर्वे (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 29.11.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पद पदस्थ था। उसी दिनांक को आरक्षक रामकुमार क0 697 उकवा चौकी द्वारा उसके समक्ष आहत मनोहर पिता इंदू उम्र 55 साल निवासी उकवा को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया था। जिसमें उसने आहत के दाहिने हाथ के कलाई एवं कोहनी के पीछे सूजन एवं खरोंच के निशान पाए थे एवं दाहिने घुटने पर सूजन पाई थी। उसके द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी—7 है तथा ओ.पी.डी टिकिट प्रदर्श पी—8, इंडोर टिकिट प्रदर्श पी—9 है, जिस के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत विकास पिता श्रीकांत उम्र 22 वर्ष निवासी लगमा थाना रूपझर उकवा चौकी को परीक्षण हेतु लाया गया। उसका चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दाहिने हाथ पर सूजन, दाहिनी कोहनी के पीछे

तरफ सूजन एवं खरोंच थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिर्पोट प्रदर्श पी—10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत मनोहर एवं विकास को दुर्घटना के कारण साधारण चोट कारित होने की पुष्टि की है।

- 10- जगदीश गेडाम (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 29.11.11 को पुलिस चौकी उकवा में सहा.उपनिरीक्षक के पद पर होते हुए उसने फरियादी मनोहर की मौखिक रिपोंट पर प्रथम सूचना रिपोंट प्रदर्श पी—1 दर्ज की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोंट की असल कायमी थाना रूपझर में प्रदर्श पी—11 की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 143/11 धारा 279,337 भा.द.वि के तहत प्रधान आरक्षक बागड़े के द्व रा लेख की गई थी। उसने मनोहर की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा तैयार कर साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। घटनास्थल से दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक—एम.पी.—50 एम.सी. 8438 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—12 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया था। आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होना तथा वाहन का बीमा का न होने से आरोपी के विरूद्ध 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इजाफा कर वाहन मालिक आरोपी ओमकार के विरूद्ध धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम बढा कर चालान पेश किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण मे उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई, संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।
- 11. प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी के द्वारा वाहन मोटरसाइकिल चालन किये जाने और आरोपी की मोटरसाइकिल से दुर्घटना कारित होना है, किन्तु किसी भी साक्षी ने उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती होना तथा उसकी उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चालन के कारण मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहतगण को उपहित कारित करने का समर्थन नहीं किया है। यद्यपि आहत मनोहर एवं विकास को घटना के समय दुर्घटना के कारण उपहित कारित होना प्रमाणित है, किन्तु उक्त उपहित आरोपी के कथित उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक वाहन चालन के कारण हुई, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। अनुसंघानकर्ता अधिकारी जगदीश गेडाम (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी प्रदीप उर्फ मोनू के पास घटना के समय वाहन चालन की अनुज्ञप्ति न होना तथा बिना बीमा कराए वाहन चलाया जाना प्रकट किया है जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है और न ही बचाव पक्ष की ओर से अनुज्ञप्ति होने व वाहन बीमित होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गए हैं। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि आरोपी प्रदीप उर्फ मोनू घटना के समय बिना अनुज्ञप्ति के एवं बिना बीमा कराए दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाइकिल का चालन कर रहा था और आरोपी ओमकार उक्त वाहन का स्वामी होते हुए बिना अनुज्ञप्ति

वाले व्यक्ति से तथा बिना बीमा कराए वाहन चलवा रहा था।

- 12- उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन कमांक एम.पी.50 एम.सी. / 8438 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत मनोहर एवं विकास को उपहित कारित किया। अभियोजन ने यह प्रमाणित किया कि आरोपी आरोपी प्रदीप ने उक्त घटना के समय उपरोक्त वाहन को बिना बीमा कराए तथा बिना लायसेंस के चालन किया तथा आरोपी ओमकार ने उपरोक्त वाहन का स्वामी होते हुये उक्त वाहन को बिना बीमा कराए एवं बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने दिया। अतएव आरोपी प्रदीप उर्फ मोनू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (दो बार) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी प्रदीप उर्फ मोनू को मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 के अपराध तथा आरोपी ओमकार को मोटरयान अधिनियम की धारा 5 / 180, 146 / 196 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- 13. आरोपीगण को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है, इस कारण उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।
- 14- आरोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्ण दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है तथा प्रकरण में आरोपीगण लगभग 3 वर्ष से विचारण का सामना कर रहे हैं। प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये आरोपी प्रदीप उर्फ मोनू को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के अन्तर्गत क्रमशः 500/-,1000/- कुल 1,500/-(एक हजार पांच सौ) रूपये तथा आरोपी ओमकार को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अन्तर्गत क्रमशः 500/-,1000/- कुल 1,500/-(एक हजार पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया जाता है। आरोपीगण को प्रत्येक अपराध के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में 15-15 दिन का सादा कारावास भुगताया जावे।
- 15. आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- 16. आरोपीगण मामले में न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इसके संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार कर संलग्न किया जाये।
- 17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50 एम.सी. / 8438 को सुपुर्ददार ओमकार राहांगडाले पिता स्व0 ईशाराम निवासी ग्राम सोनपुरी तह0 बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

ATTHER TO LEAFER TO THE TOTAL PRINTED TO THE PRINTE